न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
173/2022	दावा 88 RTA	26.08.2022	29.09.2022

अब्दुल सतार पुत्र श्री रमजान जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 26 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज) मो. नं. 7023623625

–वादी–बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. शिवगौतम सोलंकी

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 755 तादादी 5.8299 हैक्टेयर खसरा नम्बर 761 तादादी 5.5391 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 11.3690 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू में वादी की संयुक्त खातेदारी की है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ प्रस्तुत है। वादी के पिता स्वर्गवास होने के पश्चात् इन्तकाल में सतार गलत दर्ज हो गया जो अब तक चला आ रहा है। वादी का सही नाम सतार के स्थान पर अब्दुल सतार है। वादी के पिता रमजान के फौत हाने के बाद लाड प्यार से कहने पर अब्दुस सतार के स्थान पर सतार दर्ज हो गया जो अब्दुस सतार दर्ज किया जावे। वादी के नाम अब्दुस सतार पुत्र श्री रमजान जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 26 चूरू तहसील व जिला चूरू तथा इसके नाम से राशन कार्ड बार कोड संख्याा 104901900373, आधार कार्ड संख्या 424756105342, पैन कार्ड संख्या OBKPS4422M ,पासपोर्ट संख्या M2923213 आदि वैद्य दस्तावेज बने हुए है। वादी ने केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो पता चला कि उसका नाम गलती से सतार अंकित हो गया है।

वादी ने कहा व कहलवाया कि वादी का नाम मूल दस्तावेज के आधार व अनुसार अब्दुल सतार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा देवें किन्तु प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे व आखिरकार दिनोक 20.08.2022 को प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 20.08.2022 से वाद ... वाद हेतुक वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:35 IST
Reason: SelfAttested

निवास स्थान फेरिकेन व वादग्रस्त भूमि जो कि ग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्द मियाद पेश है।

अतः वादी की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 755 तादादी 5.8299 हैक्टेयर खसरा नम्बर 761 तादादी 5.5391 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 11.3690 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम सतार पुत्र रमजान के स्थान पर अब्दुल सतार पुत्र रमजान दुरूस्त कर दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश फरमाया जावे।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार चूरू सें जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। तहसीलदार चूरू सें जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। प्रविादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश न किया जाकर जांच रिपोर्ट पेश की जिस पर अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि मेरे मूल दावा के साथ पेश दस्तावेजात् को साक्ष्य वादी माना जावे तथा बहस हेतु निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी के पिता स्वर्गवास होने के पश्चात् **वादगत कृषि भूमि में** इन्तकाल में वादी का नाम सतार गलत दर्ज हो गया जो अब तक चला आ रहा है। वादी का सही नाम सतार के स्थान पर अब्दुल सतार है। वादी के पिता रमजान के फौत हाने के बाद लाड प्यार से कहने पर अब्दुल सतार के स्थान पर सतार दर्ज हो गया जो अब्दुल सतार दर्ज किया जावे। वादी के नाम अब्दुल सतार पुत्र श्री रमजान जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 26 चूरू तहसील व जिला चूरू तथा इसके नाम से राशन कार्ड बार कोड संख्याा 104901900373, आधार कार्ड संख्या 424756105342, पैन कार्ड संख्या OBKPS4422M ,पासपोर्ट संख्या M2923213 आदि वैद्य दस्तावेज बने हुए है। अतः निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 755 तादादी 5.8299 हैक्टेयर खसरा नम्बर 761 तादादी 5.5391 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 11.3690 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम सतार पुत्र रमजान के स्थान पर अब्दुल सतार पुत्र रमजान दुरूस्त कर दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी रोही ग्राम घण्टेल खसरा सक्ष्या 755, 761 में वादी का नाम सतार पुत्र रम[illegible] कसाई निवासी चूरू खातेदार दर्ज है तथा राशन कार्ड बार कोड संख्याा 104901900[illegible] आ[illegible] कार्ड संख्या 424756105342, पैन कार्ड संख्या OBKPS4422M ,[illegible] में वादी का नाम अब्दुल सतार है। प्रमाण पत्र पार्षद [illegible] नं. 26 [illegible] चूरू रिपोर्ट पटवार हल्का घण्टेल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:35 IST
Reason: SelfAttested

तहसीदार चूरू के अनुसार दावा में पेश दस्तावेज में नाम अब्दुल सतार व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम सतार दोनों एक ही व्यक्ति है। पेश दस्तावेजा रिपोर्ट तहसीलदार चूरू से परिलक्षित होता है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होकर वादी का नाम अब्दुल सतार के स्थान पर सतार हो गया। अतः वादी वादगत कृषि भूमि में राजस्व रिकार्ड में अपना सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित कराने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 755 तादादी 5.8299 हैक्टेयर खसरा नम्बर 761 तादादी 5.5391 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 11.3690 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू में जमाबन्दी में अंकित नाम सतार पुत्र रमजान के स्थान पर अब्दुल सतार पुत्र रमजान किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी पर किसी आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। नाम दुरूस्ती में वादी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तो वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

इजलास : श्री सत्यनारायण आर0ए0एस0

अब्दुल सतार पुत्र श्री रमजान जाति कसाई निवासी वार्ड नं. 26 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज) मो. नं. 7023623625

–वादी–बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88,91 आर.टी.

मुकदमा नं. 173 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 755 तादादी 5.8299 हैक्टेयर खसरा नम्बर 761 तादादी 5.5391 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 11.3690 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू में जमाबन्दी में अंकित नाम सतार पुत्र रमजान के स्थान पर अब्दुल सतार पुत्र रमजान किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी पर किसी आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। नाम दुरूस्ती में वादी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तो वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार को चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29 माह सितम्बर सन् 2022 को जारी की गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:35 IST
Reason: SelfAttested